न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर प्रथम श्रेणी / उप जिलाधिकारी, सदर, फिरोजाबाद।

वाद संख्या T20140126013 737 धारा–143 ज0वि0 एवम् भू0व्य0 अधिनियम

बी0एस0डिग्री कालेज हिरनगॉव जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धंक राजेश कुमार

वनाम

उ0प्र0 सरकार

मौजा– हिरनगॉव तहसील व जिला फिरोजाबाद।

निर्णय

बी0एस0डिग्री कालेज हिरनगॉव जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धक राजेश कुमार पुत्र सर्वेश निवासी राजा का ताल मौजा अलीनगर कैंजरा तहसील व जिला फिरोजाबाद द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्णित किया गया है कि प्रार्थी मौजा हिरनगॉव स्थित खाता संख्या 66 के गाटा संख्या 56/1 रकवा 1.039 है0 लगानी 28.70 रू0 सालाना भूमि के स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि नहीं हो रहा है। उक्त आराजी को आवादी प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार सदर से करायी गई। तहसीलदार सदर फिरोजाबाद द्वारा मौके की जॉच कर अपनी आख्या निर्धारित प्रारूप पर मय नक्शा नजरी न्यायालय को उपलब्ध करायी गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मौजा हिरनगॉव स्थित खाता संख्या 66 के गाटा संख्या 56/1 रकवा 1.039 है0 लगानी 28.70 रू0 सालाना भूमि के वादी/प्रार्थी स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, पशुपालन बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि नहीं हो रहा है। ज0वि0 अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

मैंने वादी को सुना एवम् पत्रावली का अवलोकन किया तथा स्थल निरीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर फिरोजाबाद की आख्या से स्पष्ट है कि मौजा हिरनगॉव स्थित खाता संख्या 66 के गाटा संख्या 56/1 रकवा 1.039 है0 लगानी 28.70 रू0 सालाना भूमि के वादी/प्रार्थी स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, पशुपालन, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है। जोत चकबन्दी आकार पत्र–41 व 45 में उक्त भूमि सुरक्षित श्रेणी की नहीं है। अतः उक्त आराजी को ज0वि0 अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी मौजा हिरनगॉव स्थित खाता संख्या 66 के गाटा संख्या 56/1 रकवा 1.039 है0 लगानी 28.70 रू0 सालाना भूमि घोषित करते हुए लगान से मुक्त की जाती है। तहसीलदार सदर की आख्या मय नक्शा नजरी आदेश का भाग रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि वह उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित करें तथा एक प्रति उप निबन्धक फिरोजाबाद को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक अनुपालन दाखिल दफतर की जाये।

दिनांकः 28.11.2014

(विजय कुमार)
असि0कलैक्टर प्रथम श्रेणी/
उप जिलाधिकारी, सदर,
फिरोजाबाद।

RKF/RCF/SRF/19/28/11/2014